परिपत्र संख्या-डीजी-/4 /2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः अप्रैल 26,2013

प्रिय महोदय,

दुधारू पशुओं के अवैध वध एवं उनके अनाधिकृत परिवहन को रोकने के लिए मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं। विगत कुछ समय से दुधारू पशुओं का वध बड़े पैमाने पर हो रहा है और उनका अनाधिकृत परिवहन अन्य राज्यों के लिए किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में दुधारू पशुओं की संख्या में कमी आ रही है। कभी कभी ऐसी घटनायें शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का कारण भी बन जाती है।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम 1955 एवं तत्संबंधी उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा प्रदेश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाले अपराधी को कठोर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से जो 10000 रूपये तक हो सकता है दण्डित किये जाने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती है। अधिनियम की धारा 5 क (1) के अंतर्गत व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र के सिवाय ऐसी अनुज्ञा पत्र के निबन्धन और शर्तो के अनुसार किसी गाय,सॉड़ या बैल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर वध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, न तो परिवहन करेगा, न परिवहन के लिए प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा। अर्थात् राज्य के बाहर गोवंशीय पशुओं का बिना किसी अनुज्ञा पत्र के कोई भी व्यक्ति न तो परिवहन करेगा और न परिवहन करायेगा। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा या उनके द्वारा नामित अधिकारी अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है।

- The Transport of Animals Rules,1978 के अनुसार Cattle की परिभाषा में गाय,बैल,सॉड़, भैस व बछड़े आते हैं। The Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 में पशुओं के साथ निर्दयता का व्यवहार करने के संबंध में धारा 11 उप धारा (घ) के अनुसार किसी पशु को किसी वाहन से इस रीति या स्थिति में वहन करता है या ले जाता है जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना हो अथवा उप धारा (ङ) किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या भाजन में रखता है या बन्द करता है जिसकी ऊचॉई,लम्बाई और चौड़ाई माप में इतनी पर्याप्त नहीं है कि उस पशु को हिलने-डुलने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त हो सके।

उक्त से स्पष्ट है कि जानवरों को परिवहन करते समय वाहन में पर्याप्त जगह हो जिससे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। The Transport of Animals Rules,1978 की धारा 53 के अनुसार जानवरों की गर्भावस्था के अन्तिम दशा में युवा जानवरों के साथ न ले जाया जाय। धारा 54 के अनुसार वाहन में जानवरों के

लिए पर्याप्त मात्रा में चारा, पानी एवं उपयुक्त वैंटिलेशन की व्यवस्था हो। धारा 55 (ए) यह निर्धारित करती है कि ब्राड गेज की मालगाड़ी के सामान्य डिब्बें में बड़े Cattle 10 से अधिक या 15 बछड़े से अधिक नहीं ले जा सकते हैं और मीटर गेज की मालगाड़ी के सामान्य डिब्बें में 06 बड़े Cattle अथवा 10 से अधिक बछड़े नहीं ले जा सकते हैं। उप धारा (बी) के अनुसार प्रत्येक जानवरों के वैंगन में एक अटेंडेंट होना चाहिए। धारा 56 (सी) यह निर्धारित करती है कि एक माल वाहन (ट्रक) 06 से अधिक जानवर नहीं ले जा सकते है। उप धारा (डी) के अनुसार जानवरों के प्रत्येक वाहन में एक अटेंडेंट होना चाहिए। The Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 की धारा 34 में यह प्रावधान है कि आरक्षी के पद से उच्च पद का कोई पुलिस अधिकारी यह पाता है कि उपरोक्त अपराध किया जा रहा है तो वह पुलिस अधिकारी ऐसे जानवर को जब्त कर सकता है परन्तु जब्त करने का उद्देश्य यह है कि उक्त पुलिस अधिकारी को यह जानवर निकटस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। पुलिस अधिकारी जानवरों को ले जाने वाले व्यक्ति को जानवरों के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेशित कर सकता है। उक्त अपराध असंज्ञेय है।

अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में गोवध निवारण हेतु स्थानीय पुलिस प्रशासन को गोवंश के अवैध परिवहन से लेकर गोवध तथा गो मांस को बेचने से रोकने हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायः-

- गो पशुओं के प्रदेश से बाहर बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा अर्न्तजनपदीय सीमाओं पर, राष्ट्रीय राजमार्गो, सीमावर्ती ग्रामीण पशु पारमगन मार्गो पर प्रभावी निगरानी रखते हुए बिना अनुज्ञा पत्र के गोवंश परिवहन को रोकने की कार्यवाही की जाय।
- गोवध पर प्रभावी निगरानी पुलिस प्रशासन द्वारा की जाय एवं गोवध सम्बन्धी अपराधों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाय एवं अपराधियों को दण्डित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।
- मांस के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के संबंध में स्थानीय निकाय प्राधिकारी एवं पुलिस पर्याप्त निगरानी रखे। बाहर से आने वाले कारकस को स्थानीय स्तर पर रोका जाय एवं संदेह की स्थिति में/शिकायत प्राप्त होने पर संदिग्ध गौमांस की क्षेत्रीय/जनपदीय पशु चिकित्सक से मांस की सैम्पलिंग कराकर उसे परीक्षण हेतु रिसर्च ऑफिसर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट, पशु चिकित्सा विज्ञान, विश्व विद्यालय, मथुरा भिजवाया जाय। यदि परीक्षण के पश्चात् गोमांस की पुष्टि हो जाय तो गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाय।
- अधिनियम की धारा 7(3) के अन्तर्गत तस्करी एवं अवैध परिवहन के दौरान पकड़े गये पशुओं को पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से किसी गौशाला या इस हेतु किसी संस्था को सुपुर्दगी में दिया जाय।
- जोन से लेकर थाना स्तर तक पशुओं की तस्करी के मार्ग चिन्हित किये जाय तथा चेकिंग करायी जाय। अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाये जाने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जाय।
- प्रायः देखने में आया है कि कुछ पुलिस कर्मियों की डियूटी अन्यत्र रहती है और सड़कों पर आकर पशुओं की गाड़ियों से अवैध वसूली करके गाड़ियां पास कराते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अधिकारियों की देख रेख में चेकिंग के लिए स्वच्छ छवि के पुलिस कर्मी लगाये जाय जिससे कोई शिकायत न होने पाये।
- प्रत्येक थाना क्षेत्र में लगने वाले पशु मेला/हाट का निरीक्षण कर विधिक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- समय समय पर वधशालाओं का निरीक्षण किया जाय। अनियमितता पाये जाने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जाय।

- रेलवे द्वारा उ0प्र0 की सीमा से ले जा रहे पशुओं के लिए राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा विधिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- पशु तस्करों के बारे में विलेज क्राइम नोट बुक में अंकन किया जाय और उनकी हिस्ट्रीशीट खोली जाय।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपद स्तर पर होने वाली अपराध समीक्षा गोष्ठी में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम एवं The Transport of Animals Rules,1978 के कियान्वयन की समीक्षा कानून व्यवस्था की दृष्टि से की जाय। पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र अपने निकट पर्यवेक्षण में एक माह का अभियान चलाकर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके क्षेत्र में किसी भी दशा में गोवध एवं गोवंश तथा दुधारू पशुओं का अवैध परिवहन न होने पाये। यदि किसी जनपद में अवैध परिवहन की शिकायत प्राप्त होती है तो दूसरे जनपद के अधिकारियों को भेजकर चेंकिग कराये तथा शिकायत की पुष्टि होने पर दण्डात्मक कार्यवाही करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(देवराज नागर) 6.4.13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक,तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।